

कार्यालय नगर पंचायत खरोरा, जिला- रायपुर (छ.ग.)
संपत्तिकर निर्धारण हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारित दर वर्ष 2015-16

परिक्षेत्र (जोन)	निर्माण के आधार पर भवनों के प्रकार	भवन				भूमि						
		व्यावसायिक		आवासीय		विकसित		अविकसित				
		मुख्य मार्ग	अन्य मार्ग	मुख्य मार्ग	अन्य मार्ग	व्याव.	आवा.	अन्य	व्याव.	आवा.	अन्य	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(क) परिक्षेत्र :- 1 वार्ड क. 13, 14, 15 I मुख्य मार्ग (सुरेशा स्टील से वनकाष्ठगार तक) II संपूर्ण बस स्टैंड क्षेत्र III बैतलहम नगर से भाठापारा मार्ग न.पं. सीमा तक	अ- आर सी सी., छतयुक्त पक्का मकान	12/-	10/-	10/-	08/-	04/-	03/-	02/-	03/-	02/-	01/-	
	ब- सीमेंट / लोहे की चादर युक्त कवेरु युक्त	10/-	08/-	08/-	06/-	04/-	03/-	02/-	03/-	02/-	01/-	
	अ- आर सी सी., छतयुक्त पक्का मकान	10/-	08/-	08/-	05/-	04/-	02/-	01/-	03/-	02/-	01/-	
(ख) परिक्षेत्र :- 2- वार्ड क. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (मुख्य मार्ग से 15 मीटर अंदर स्थित) 1. धाना से करियादामा चौक तक 2. नेताजी चौक से करियादामा चौक तक 3. नैरव बाबा मंदिर से सूर्या चौक तक 4. तिल्टा रोड से कृष्णा चौक तक 5. सुरेन्द्र चौकला के मकान से नैरव बाबा मंदिर तक	अ- आर सी सी., छतयुक्त पक्का मकान	08/-	06/-	06/-	03/-	04/-	02/-	01/-	03/-	02/-	01/-	
	ब- सीमेंट / लोहे की चादर युक्त कवेरु युक्त	08/-	06/-	06/-	03/-	04/-	02/-	01/-	03/-	02/-	01/-	
	अ- आर सी सी., छतयुक्त पक्का मकान	08/-	06/-	06/-	04/-	03/-	02/-	01/-	03/-	02/-	01/-	
(ग) परिक्षेत्र :- 3- वार्ड क. 1, 2, 3, 4 (मुख्य मार्ग से 15 मीटर छोड़कर एवं वार्ड कमांक		08/-	06/-	06/-	04/-	03/-	02/-	01/-	03/-	02/-	01/-	

वार्षिक भाड़ा मूल्यांकन दर संपत्ति कर निर्धारण हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्यांकन कर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है ।

01. जहाँ वार्षिक भाड़ा मूल्य 4800/- रुपये से अधिक हो किन्तु 10,000/- रुपये से अधिक न हो वार्षिक भाड़ा मूल्य का 9%

02. जहाँ वार्षिक भाड़ा मूल्य 10,000/- रुपये से अधिक का हो किन्तु 20,000/- रुपये से अधिक न हो वार्षिक भाड़ा मूल्य का 11%

03. जहाँ वार्षिक भाड़ा मूल्य 20,000/- रुपये से अधिक हो वार्षिक भाड़ा मूल्य का 15% की दर से संपत्तिकर देय होगा, प्रत्येक भूमि भवन स्वामियों को नियम 10 एवं 08 के अनुसार स्वनिधारण विवरण तथा संपत्तिकर की राशि वर्ष 2005-06 जमा करने के लिए विधिवत कार्यवाही किया जावे, सूचना प्रकाशन एवं स्टेशनरी एवं अन्य व्यय की स्वीकृति दी जाती है ।

(निशा अरविंद देवांगन)

अध्यक्ष
नगर पंचायत खरोरा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत खरोरा